राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.18(36)नविवि/एन.ए.एच.पी./2014 पार्ट जयपुर, दिनांक :- 31 JUL 2018

आदेश

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं मास्टर प्लान में दर्शित आवासीय भू-उपयोग में फार्म हाउस प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लिये जाने के संबंध में सक्षम स्तर पर चर्चा उपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम मे निम्नानुसार आदेश जारी किया जाता है:-

i. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के विभिन्न प्रावधानों के तहत आवेदित प्रकरणों में भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि विभाग द्वारा जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 20.04.2017 एवं 25.04.2017 के अनुसार "मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण को प्लान्टेशन बेल्ट, इकोलॉजिकल जोन, इकोसेन्टिव जोन तथा रिक्रियेशन जोन (पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि) को छोड़कर प्रभावी मास्टर प्लान के अन्य सभी भू-उपयोगो में अनुज्ञेय श्रेणी में रखा गया है।" उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-
"मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के तहत शहरी गरीबों के लिए आवास निर्माण को प्लान्टेशन बेल्ट, इकोलॉजिकल जोन, इकोसेन्टिव जोन, रिक्रियेशन जोन (पार्क, प्ले ग्राउण्ड आदि) तथा उदयपुर मास्टर प्लान में दर्शाये गये जी-2 जोन को छोड़कर प्रभावी मास्टर प्लान के अन्य सभी भू-उपयोगो में अनुज्ञेय श्रेणी में रखा गया है।" अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत आवेदित प्रकरणों में उपरोक्त निषेध भू-उपयोगों के अतिरिक्त किसी भी अन्य भू-उपयोग में योजना प्रस्तावित होने पर भू-उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नही है।

ii. विभागीय आदेश क्रमांक प.18(54)नविवि/डी.सी.आर/2017 दिनांक 23.04.2018 में नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क लिये जाने का उल्लेख है, के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि आदेश दिनांक 23.04.2018 द्वारा उच्च घनत्व भू-उपयोगों में मध्यम एवं लघु घनत्व के उपयोग तथा मध्यम घनत्व भू-उपयोगों में लघु घनत्व के उपयोग अनुज्ञेय किये गये है। अतः अनुज्ञेय उपयोग के लिए कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं होगा, केवल नियमानुसार रूपान्तरण शुल्क लिया जाना है, क्योंकि वर्तमान मे भी कृषि भूमि पर मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू-उपयोगों का भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय नहीं है। किसी भी उपयोग हेतु पट्टाशुदा भूखण्ड का किसी अन्य अनुज्ञेय उपयोग में परिवर्तन चाहे जाने पर नियमानुसार भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क देय होगा।

यह आदेश जारी होने की तिथि के बाद निर्णित होने वाले प्रकरणों पर लागू होगा। जो प्रकरण इस आदेश के जारी होने से पूर्व निर्णित हो चुके है, उन पर यह लागू नही होगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

31/7/18

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव—प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. सचिव,जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. सलाहकार (नगर नियोजन)/सलाहकार (विधि), नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
11. रक्षित पत्रावली।

3/7/18

संयुक्त शासन सचिव—प्रथम